



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032021-225567
CG-DL-E-01032021-225567

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 894]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 1, 2021/ फाल्गुन 10, 1942

No. 894]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 1, 2021/PHALGUNA 10, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2021

का.आ. 967(अ).—केन्द्र सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन की धारा 2 खण्ड (ए) के अनुसरण में (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50), उक्त अधिनियम के अधीन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की पारादीप, ओडिशा से लेकर नुमालीगढ़, असम तक समर्पित, कच्चा तेल का पाइपलाइन, पश्चिम बंगाल राज्य में बिछाने के लिए नीचे दी गयी सारणी में वर्णित प्राधिकारी को उक्त अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के कार्या का निर्वहन करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करते हैं अर्थात :-

अनुसूची

प्राधिकारी का पदनाम	अधिकार का क्षेत्र
श्री सुब्रत मुखारजी, डब्लू.बी.सी.एस (प्रशासनिक) अवकाश प्राप्त ग्राम/पीओ : लबपुर जिल्ला : बीरभूम, पश्चिम बंगाल -७३१३०३	समस्त पश्चिम बंगाल राज्य

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-11025(14) /2/2019-ओ-आर-I /ई-37221]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2021

S.O. 967(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby Authorizes the Authority mentioned in the table below to perform the functions of Competent Authority in the state of West Bengal Under the said Act for laying of dedicated Crude Oil Pipeline of Numaligarh Refinery Limited from Paradip, Odisha to Numaligarh, Assam (Area of jurisdiction whole West Bengal) namely: -

SCHEDULE

Designation of Authority	Area of Jurisdiction
Shri. Subrata Mukherjee, WBCS (Exe.) Retd. AT/PO- Labpur, Dist.- Birbhum, West Bengal- 731 303	Whole West Bengal State

This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. R-11025(14)/2/2019-OR-I/E-37221]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.